

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-32/2017-117 (आवंटन) कृ., पटना, दिनांक 04-01-2018

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना तथा इससे संबंधित राज्य योजना का 9806.9286 लाख (अन्तानवे करोड़ छः लाख बेरानवे हजार आठ सौ साठ रू०) {वर्ष 2017-18 की बजट से 9038.8516 लाख (नब्बे करोड़ अड़तीस लाख पचासी हजार एक सौ साठ रू०) तथा अव्यवहृत अवशेष 768.077 लाख रू० (सात करोड़ अड़सठ लाख सात हजार सात सौ रू०)} की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹19,63,65,244 (उन्नीस करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ चौवालीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4281-दिनांक-04.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना तथा इससे संबंधित राज्य योजना का 9806.9286 लाख (अन्तानवे करोड़ छः लाख बेरानवे हजार आठ सौ साठ रू०) {वर्ष 2017-18 की बजट से 9038.8516 लाख (नब्बे करोड़ अड़तीस लाख पचासी हजार एक सौ साठ रू०) तथा अव्यवहृत अवशेष 768.077 लाख रू० (सात करोड़ अड़सठ लाख सात हजार सात सौ रू०)} की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक:-98 (आवंटन) दिनांक-17.11.2017 द्वारा कुल ₹50,36,91,160 (पचास करोड़ छत्तीस लाख एकानवे हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र की राशि आवंटित किया जा चुका है। व्यय हेतु कुल ₹19,63,65,244 (उन्नीस करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ चौवालीस रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹19,63,65,244 (उन्नीस करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ चौवालीस रूपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹10,01,20,000 (दस करोड़ एक लाख बीस हजार रू०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0217-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड-01-2401001090217-पी०एफ०एम०एस० कोड-9144- विषयशीर्ष-0217.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹19,63,65,244 (उन्नीस करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ चौवालीस रूपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹1,88,40,000 (एक करोड़ अठासी लाख चालीस हजार रू०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0236- राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड-01-2401007890236, पी०एफ०एम०एस० कोड-9144- विषयशीर्ष-0236.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹19,63,65,244 (उन्नीस करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार दो सौ चौवालीस रूपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹10,40,000 (दस लाख चालीस हजार रू०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0260- राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड-01-2401007960260, पी०एफ०एम०एस० कोड-9144- विषयशीर्ष-0260.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

उमर

04/11/18

